



पश्चिम मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
वाणिज्य विभाग, जबलपुर

क्रं. जबल/वा/170/सा.स्कू.कार स्टै./जबलपुर (PF-06 साइड)/23

दिनांक 20.02.2023

ई-कोटेशन सूचना

ई-कोटेशन सूचना संख्या : 03-2023

जबलपुर (PF-06 साइड) स्टेशन के लिये साइकिल/स्कूटर/कार पार्किंग स्टैण्ड के लिए मंडल रेल प्रबंधक (वा), जबलपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिकतम 90 दिनों के लिए ई-कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। विवरण निम्नानुसार है-

लोकेशन पार्किंग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	आरक्षित मूल्य (90 दिनों के लिए)	बयाना राशि	कोटेशन प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	कोटेशन खुलने की तिथि एवं समय
जबलपुर (PF-06 साइड)	5275. वर्ग मी.	रु 22,45,430/-	रु 1,12,500/-	दिनांक 23.02.2023 समय 15:00 बजे	दिनांक 23.02.2023 समय 15:30 बजे

दर सूची जबलपुर (PF-06 साइड) स्टेशन (साइकिल/स्कूटर/कार स्टैण्ड)

समयावधि	दो पहिया वाहनों के लिये	चार पहिया वाहनों के लिये
04 घंटे तक के लिये	10/-रु	15/-रु
04 घंटे से अधिक एवं 12 घंटे तक के लिये	20/-रु	45/-रु
12 घंटे से अधिक एवं 24 घंटे या उसके भाग के लिये	30/-रु	90/-रु

मासिक दर सूची दो पहिया वाहनों (साइकिल/स्कूटर) के लिये।

समयावधि	दो पहिया वाहनों के लिये
प्रतिदिन यात्रियों एवं सीजनटिकट धारक के लिये	400/-रु
स्टेशन प्रबंधकों द्वारा प्राधिकृत न्यायिक कर्मचारी/शासकीय रेलवे पुलिस/पार्सल लोडर/प्रेस कर्मी/लाइसेंसी कर्मचारी	300/-रु
1. स्टेशन प्रबंधकों/स्टेशन मास्टर द्वारा प्राधिकृत बोनाफाईड रेलवे कर्मचारी जो कि उस स्टेशन पर कार्यरत है। 2. ब्रांच ऑफिसर की सिफारिश पर स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर द्वारा प्राधिकृत बोनाफाईड रेलवे कर्मचारी जो कि अन्य स्टेशन पर कार्यरत है।	150/-रु ;



कोटेशनदाता को निम्न दस्तावेज कोटेशन के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित कर IREPS की वेबसाइट पर अपलोड करना होंगे :-

1. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। आयु संबंधी प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा सत्यापित)।
2. संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र (कोटेशन दिनांक से 06 माह पूर्व नहीं होना चाहिए)
3. स्थायी पता संबंधी प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा सत्यापित)।
4. फोटो पहचान पत्र (स्वयं द्वारा सत्यापित)।

निर्धारित युनिफॉर्म:-

1. मेरुन कलर की कालर वाली टीशर्ट जिसमें पीले रंग से दायीं ओर लाइसेंसी का नाम लिखा होना चाहिए।
2. टीशर्ट के बायीं तरफ पाकेट के ऊपर पार्किंग स्टैंड कर्मियों के नाम की नेम प्लेट लगी होनी चाहिए।

प्रस्तावित लाइसेंस फीस पर 18% जी.एस.टी (9% एस.जी.एस.टी +9% सी.जी.एस.टी.)/ आई.जी.एस.टी सीधे जीएसटी विभाग को जमा करना होगा। सफल कोटेशनकर्ता को प्रस्तावित लाइसेंस फीस की 15 दिन के बराबर राशि सुरक्षा निधी के रूप में एफ.डी.आर./डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **Sr.DFM/WCR/Jabalpur** के पक्ष में जमा करना होगा एवं रेलवे द्वारा निर्धारित अनुबंध में हस्ताक्षर हेतु (रु. 500/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ) कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा।

Letter of Acceptance जारी होने पर, पूर्ण लाइसेंस फीस 48 घंटे में भुगतान करनी होगी नहीं करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी शर्तें मान्य होगी। रेल प्रशासन को बिना कारण बताये किसी भी कोटेशन को स्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

- उपरोक्त कोटेशन की अधिकतम अवधि 90 दिन या ई-ऑक्शन/टेंडर फाइनल होने तक रहेगी। रेल प्रशासन को बिना कोई कारण बताये कोटेशन को बीच में समाप्त करने का अधिकार होगा।

जबलपुर मंडल के वाणिज्य विभाग में किसी भी कार्यालयीन दिवस पर कोटेशन सम्बंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा IREPS की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाकर भी उपलब्ध की जा सकती है।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)/जबलपुर

कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)
विचय मध्य रेल, जबलपुर
for Divl Rly Manager (Comm.)
W.C Rly Jabalpur